क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

265
अगस्त
2001

बैंकिंग

महिलाओं हेतु ऋण सुपुर्दगी तंत्र सुदृढ़ किया जाना सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कार्रवाई करें:

(i) अपने निवल बैंक ऋण का 5 प्रतिशत 3 वर्ष के भीतर महिलाओं को उधार देना तय करना। पहले यह अवधि पांच वर्ष सूचित की गयी थी। यह लक्ष्य 31 मार्च 2004 तक पूरा किया जाना है।

(ii) शाखा स्तर पर उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशिष्ट स्थानीय महिलाओं आदि के प्रतिनिधियों को लेते हुए 4-5 महिलाओं का एक परामर्शदात्री समूह बनाने के लिए। ये समूह बैंक की शाखा से आपसी सहयोग बनाये रखेंगे और शाखा तथा उस क्षेत्र की महिलाओं के बीच कड़ी का काम करेंगे:

(iii) क्षेत्रीय/प्रधान कार्यालय स्तर पर भी बेहतर और अधिक पारस्परिक सहयोग बनाये रखने के लिए इसी तरह के समूह गठित करने के लिए:

(iv) बैंकों द्वारा महिलाओं को दिये जानेवाले ऋण की कार्यविधि औपचारिकताएं और आसान बनाने के लिए:

(v) 30 सितंबर 2001 को समाप्त होनेवाली तिमाही से शुरू करते हुए महिलाओं को उधार देने संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे निर्धारित फार्मेट में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने के लिए:

(vi) अनर्जक आस्तियों से संबंधित स्थिति निर्धारित फार्मेट में दर्शाने के लिए :

ये अनुदेश महिलाओं हेतु ऋण प्रवाह विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं के आलोक में जारी किये गये हैं। यह संगोष्ठी बैंकों के कार्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर समीक्षा के लिए बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में इस वर्ष जून में आयोजित की गयी थी।

आवास वित्त का विनियोजन यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बैंक वर्तमान वित्त वर्ष 2001-2002 (अप्रैल 2001-मार्च 2002) के लिए आवास-वित के लिए राशि के विनियोजन की गणना करते समय, मार्च 2000 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत अन्तिम शुक्रवार की स्थिति की तुलना में मार्च 2001 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार वर्द्धमान जमाराशियों का 3 प्रतिशत भाग आवास-वित्त के प्रयोजन के लिए विनियोजित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवास-वित्त के लिए विनियोजित की जानेवाली राशि की यह न्यूनतम सीमा है और बैंकों के संसाधनों को देखते हुए आवास-वित्त के लिए अधिक राशि विनियोजित करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

बैंक आवास-वित्त के विनियोजन के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त या राष्ट्रीय आवास बैंक/आवास एवं शहरी विकास निगम के बांडों में अलग-अलग या इन दोनों के मिले-जुले रूप में, किसी भी प्रकार से अपना धन नियोजित करें। आवास-वित्त के संबंध में दिनांक 21 जून 2001 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। (आवास वित्त पर व्यापक अनुदेश www.mastercirculars.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।)

वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त के रूप में संवितरित राशि का त्रैमासिक विवरण रिज़र्व बैंक के पास भेजते रहें ताकि उनके आवास-वित्त विनियोजन की तुलना में उनके द्वारा इस मद में किए गए संवितरण संबंधी उनके स्थूल स्तरीय कार्यनिष्पादन पर नजर रखी जा सके। ये ब्यौरे बैंक 30 जून 2001 को समाप्त तिमाही से आरंभ करके, संबंधित तिमाही समाप्त होने के बाद 20 दिनों के भीतर, निर्धारित फॉर्मेट में भेजें।

विभेदक ब्याज दर योजना का कार्यान्वयन रिज़र्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण हेतु बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु तत्काल कदम उठायें और निर्धारित लक्ष्य पूरे करने को उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करें। ये अनुदेश यह पाये जाने के बाद जारी किये गये हैं कि योजना के अंतर्गत दिये गये अग्रिमों का स्तर पिछले वर्ष के समग्र अग्रिमों हेतु निर्धारित एक प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम रहा। अनुदानों के लिए मांग पर वित्त मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति (2001-02) ने बैंकों द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत असंतोषजनक कार्य निष्पादन पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण बैंक शाखाओं का बंद होना रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बैंकों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करने की वजह से स्टाफ के उपलब्ध न होने के कारण सामान्य रूप में सरकारी क्षेत्र की कोई भी शाखा और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की कोई शाखा बंद न हो। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशियां उधार देने पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग
- महिलाओं हेतु ऋण सुपुर्दगी तंत्र सुदृढ़ किया जाना 1
- आवास वित्त का विनियोजन 1
- विभेदक ब्याज दर योजना का कार्यान्वयन 1
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण बैंक शाखाओं का बंद होना 1

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
- लॉटरी के लिए प्रेषण 2
- अनिवासी भारतीयों के लिए अचल संपत्ति 2
- म्यानमार को ऋण 3
- श्रीलंका को ऋण 3

नीति
- अंतर-बैंक देयताएं 3
- बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश 3
- बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशें 4

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

लॉटरी के लिए प्रेषण रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारियों को आम जनता को उचित रूप से यह सूचित करने के लिए कहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लॉटरी योजनाओं में हिस्सेदारी के लिए किसी भी रूप में प्रेषण करना मना है। ये प्रतिबंध अलग अलग नामों जैसे मुद्रा परिचालन योजना अथवा पुरस्कार राशि/ईनाम आदि पाने के उद्देश्य के लिए प्रेषण के अंतर्गत चलायी जानेवाली लॉटरी जैसे योजनाओं में हिस्सेदारी के लिए प्रेषणों पर भी लागू हैं।

यह सूचना इसलिए जारी की गयी थी क्योंकि रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात आयी कि कतिपय विदेशी संगठन भारत की जनता को यह सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने लॉटरी आदि में पुरस्कार जीता है और उन्हें कुछ रकम अमेरिकी डालर में शुल्क के रूप में प्रेषण करने की व्यवस्था करनी होगी।

अनिवासी भारतीयों के लिए अचल संपत्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 (3) (i) में भारतीय रिज़र्व बैंक को कतिपय व्यक्तियों, खासकर भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अभिग्रहण अथवा अंतरण को निषिद्ध, प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकार दिये गये हैं। ये प्रतिबंध पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अचल संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए लागू नहीं हैं। रिज़र्व बैंक विनियमों का सारांश इस प्रकार है:

- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक को निम्नलिखित के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है:
  - (i) कृषि/बागान संपत्ति अथवा फार्म हाउस के अलावा भारत में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति के अभिग्रहण:
  - (ii) भारतीय नागरिक को, जो भारत का निवासी है, किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण:
  - (iii) भारत से बाहर रह रहे भारतीय नागरिक को अथवा भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को कृषि अथवा बागान संपत्ति अथवा फार्म हाउस के अलावा किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण:
- भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का स्थान (संपर्क कार्यालय को छोड़कर) स्थापित करने के लिए अनुमति दी गयी है, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की, भारत में अचल संपत्ति के अभिग्रहण हेतु, जो उसके लिए आवश्यक है अथवा गतिविधि के लिए प्रासंगिक है, सामान्य अनुमति है, तथापि, इस प्रकार के मामले में अभिग्रहण की तारीख से 90 दिन के भीतर निर्धारित फार्म आइपीआर में सिर्फ एक घोषणापत्र रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- सभी व्यक्ति चाहे वे भारत के अथवा भारत के बाहर के निवासी हों, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल अथवा भूटान का नागरिक हैं, उन्हें भारत में किसी भी अचल संपत्ति के अभिग्रहण अथवा हस्तांतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक को निम्नलिखित कार्य करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है:
  - (i) कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान संपत्ति को छोड़कर भारत में किसी भी अचल संपत्ति का अभिग्रहण बैंकिंग चैनल के जरिए भारत के बाहर से किसी स्थान से भारत में प्राप्त आवक प्रेषण की निधियों में से खरीद के जरिए अथवा;
  - (ii) अधिनियम के उपबंधों और अधिनियम के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार बनाये रखे किसी अनिवासी खाता में धारित;
  - (iii) कृषि भूमि/फार्म हाउस/बाग़ान संपत्ति को छोड़कर किसी अचल संपत्ति का भारत में निवासी किसी व्यक्ति से अथवा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जो भारत का नागरिक है, अथवा भारत के बाहर रहनेवाले भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से उपहार के जरिए अभिग्रहण;
  - (iv) भारत में अचल संपत्ति का विरासत द्वारा भारत के बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति जिन्होंने ऐसी संपत्ति अभिग्रहण के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा कानून के प्रावधानों अथवा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अर्जित की थी, अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति से अभिग्रहण;
  - (v) कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान संपत्ति के अलावा भारत में किसी अचल संपत्ति का भारत में निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री द्वारा हस्तांतरण;
  - (vi) भारत के निवासी किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है, भारत में कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान संपत्ति का उपहार अथवा बिक्री के जरिए हस्तांतरण;
  - (vii) भारत में आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति का भारत में निवासी किसी व्यक्ति अथवा भारत के बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है अथवा भारत के बाहर रहनेवाले भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को उपहार द्वारा हस्तांतरण;
- भारत में स्थित किसी अचल संपत्ति के बिक्री आगमों का भारत के बाहर प्रत्यावर्तन, जिसमें प्रत्यावर्तन के जरिए आरएफसी, अनिवासी विदेशी, अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता में जमा करना शामिल है, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति नीचे उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर आवश्यक है:
- भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति, द्वारा जो भारत का नागरिक है, अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है, कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति की बिक्री करने के मामले में प्राधिकृत व्यापारी बिक्री आगमों का प्रत्यावर्तन भारत बाहर करने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित सभी शर्तों का पालन किया गया है:
  - i) क्रेता द्वारा अचल संपत्ति का अभिग्रहण, उस समय प्रचलित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमावली/विनियमावली/कानून के प्रावधानों अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया था;
  - ii) बिक्री ऐसी अचल संपत्ति के अभिग्रहण की तारीख से अथवा उसके अभिग्रहण के लिए प्रतिफल के अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से तीन वर्ष के बाद, जो भी बाद में हो, हुई है;
  - iii) प्रत्यावर्तित की जानेवाली राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं है : क) संपत्ति के अभिग्रहण हेतु विदेशी मुद्रा में अदा की गई सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता में धारित निधियों में से प्राप्त राशि अथवा, ख) भुगतान की तारीख पर विदेशी मुद्रा में अदा की गई राशि के समकक्ष जहाँ संपत्ति के अभिग्रहण हेतु इस प्रकार का भुगतान अनिवासी विदेशी खाता में धारित निधियों में से किया गया था; और
  - iv) आवासीय संपत्ति के मामले में बिक्री आगमों का प्रत्यावर्तन ऐसी दो संपत्तियों तक ही सीमित है।
- कृषि भूमि/बागान संपत्ति/फार्म हाउस के अभिग्रहण हेतु भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति अथवा विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा सभी अनुरोध मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (III), केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को किये जायें।
- अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में अपनी अचल संपत्ति भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई अनुमति प्राप्त किये बिना किराये पर निर्बाध रूप से दे सकते हैं। किराया आय चूंकि चालू खाता लेनदेन के रूप है, इसे निर्बाध रूप से भारत के बाहर भेजा जा सकता है।
- भारत में अचल संपत्ति के साथ सौदा करनेवाले लेनदेन अर्थात हस्तांतरण, बिक्री, खरीद आदि के प्रयोजनार्थ भारतीय मूल के व्यक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है:
  "ऐसा व्यक्ति (जो पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश अथवा श्रीलंका अथवा अफगानिस्तान, अथवा चीन अथवा ईरान अथवा नेपाल अथवा भूटान का नागरिक नहीं है) जिसके पास
  i) किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा,
  अथवा
  ii) वह अथवा या तो उनके पिता अथवा उनके दादा भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की हैसियत से भारतीय नागरिक थे ।"

म्यानमार को ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे म्यानमार को निर्यात करने वाले अपने ग्राहकों को यूनियन ऑफ म्यानमार सरकार के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डालर की बढ़ायी गयी ऋण सहायता के बारे में सूचित करें। यूनियन ऑफ म्यानमार सरकार के लिए ऋण भारत से करार में किये गये उल्लेख के अनुसार भारतीय विनिर्माण के पूँजीगत सामान, परामर्शी सेवाओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए उपलब्ध होगा। ऋण तीसरे देश आयातों को कवर नहीं करेगा। भारत से सामान का निर्यात और उनका म्यानमार में आयात सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए और दोनों देशों के बीच प्रचलित विधि और विनिमयों के अधीन होना चाहिए।

निर्धारित मदों के लिए ऋण करार के अधीन वित्तपोषित की जानेवाली संविदाएं 30 नवम्बर 2001 तक हस्ताक्षरित होनी चाहिए और संबंधित साख पत्र जारी किये जाने चाहिए। ऋण के अधीन पूर्ण राशि के आहरण की अंतिम तारीख 30 नवम्बर 2002 निर्धारित की गयी है। यदि ऋण की पूरी राशि उक्त तारीख से पहले आहरित नहीं की जाती है, तो शेष राशि निरस्त की जानी चाहिए और यूनियन ऑफ म्यानमार सरकार द्वारा की जानेवाली चुकौती की अंतिम किस्त, यदि अन्यथा सूचित न किया गया हो, तदनुसार घटायी जानी चाहिए।

श्रीलंका को ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि इन्डो-श्रीलंका ऋण करार के अंतर्गत भारत सरकार ने 29 जनवरी 2001 को दोनों सरकारों के बीच हुए एक ऋण करारनामा के अंतर्गत रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका सरकार को 100 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण तीन वर्षों के अवधि में वितरित किया जायेगा। पहले वर्ष में वितरित 45 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका सरकार को भारत से पूँजीगत माल के साथ खरीद किये गये मूल कलपुर्जे और उपकरणों को शामिल भारतीय निर्मित पूँजीगत माल और मूल करार में शामिल साथ ही साथ परामर्शी सेवाएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और अनुबंध में उल्लिखित किये गये अनुसार खाद्य सामग्री -शक्कर, आटा, चावल, दली दालें तथा गेंहू का आयात करने के लिए उपलब्ध होगा। ऋण तीसरे देश के आयातों को कवर नहीं करेगा। माल और सेवाओं का भारत से निर्यात और उनका श्रीलंका में आयात ऋण सहायता के अधीन सामान्य वाणिज्य चैनलों के जरिए किया जायेगा और दोनों देशों में प्रचलित कानूनों ओर विनियमों के अधीन होगा।

नीति

अंतर-बैंक देयताएं भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि केवल मूल रूप में 15 दिन की और उससे अधिक की तथा एक वर्ष तक की पूर्णावधि की अंतर-बैंक मीयादी जमाराशियां और उधार संबंधी मीयादी देयतायें ही 11 अगस्त 2001 को प्रारंभ पखवाड़े से 3.0 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण से छूट की पात्र हैं।

आपको याद होगा कि एक मीयादी मुद्रा बाजार विकसित करने के लिए इस वर्ष घोषित मौद्रिक तथा ऋण नीति में 15 दिन और उससे अधिक की अंतर बैंक देयताओं को इस तारीख से 3 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण से छूट दे दी गयी थी। घोषणा में इस तरह की देयताओं की अवधि समाप्ति के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी।

तदनुसार, बैंकों को चाहिये कि वे 15 दिन और उससे अधिक की और एक वर्ष तक की मूल पूर्णावधि वाली अपनी उपर्युक्त अंतर-बैंक देयताओं को भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं (फार्म ए की मद सं.1) में शामिल न करें। इसी प्रकार, वे शुद्ध राशि (नेटिंग) का लाभ लेने की तथा कुल मांग और मीयादी देयताओं की गणना करने के लिए वे 15 दिन और उससे अधिक की और एक वर्ष तक की मूल पूर्णावधि की मीयादी जमाराशियों और मीयादी उधार संबंधी अपनी अंतर-बैंक आस्तियों को बैंकिंग प्रणाली के प्रति आस्तियों (फार्म ए की मद 3) में शामिल न करें।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 15 दिन की और उससे अधिक की और एक वर्ष तक की मूल पूर्णावधि की इस प्रकार की अंतर-बैंक देयताओं और आस्तियों को धारा 42(2) की विवरणी के अंतर्गत फार्म ए के अनुबंध ए में ज्ञापन मदों के रूप में सूचित करेंगे।

उपर्युक्त नीतिगत निर्धारण केवल प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन के लिए है, जो 11 अगस्त 2001 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से लागू होगी। सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन हेतु मांग और मीयादी देयताओं की गणना करने के बारे में कोई परिवर्तन नहीं है।

बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों की हाल ही में की गयी समीक्षा से पता चला है कि कुछ बैंकों ने गैर-श्रेणीबद्ध बांडों में निजी तौर पर काफी निवेश किया है और कुछ मामलों में तो उन कंपनियों के बांडों में निवेश किया है, जो कंपनियां उनकी ग्राहक भी नहीं हैं। निजी तौर पर निवेश के ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय हो सकता है बैंक मानकीकृत और अधिदेशात्मक प्रकटीकरण, जिनमें साख श्रेणीबद्धता शामिल है, के न होने की वजह से निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए उचित अध्यवसाय करने की स्थिति में न हों। इस प्रकार निजी तौर पर किये गये निर्गमों के मूल्यांकन में कमियां हो सकती हैं। हालांकि आशय निजी तौर पर किये गये निर्गमों में अभिदान करने से बैंकों को रोकना नहीं है, तथापि ऐसे निवेश कुछ चिंता के कारण हो सकते हैं। इसलिए बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनायें कि निजी तौर पर गैर-श्रेणीबद्ध लिखतों में किये गये निवेश संबंधित बैंक के निदेशक मंडल की अनुमोदित नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रणाली और क्रियाविधि के अनुसार हों। इसके अलावा प्रस्ताव के दस्तावेजों में पर्याप्त प्रकटीकरण न होने से उत्पन्न जोखिम का निर्धारण होना चाहिए और बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रकट करने के संबंध में न्यूनतम मानक निर्धारित करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक तकनीकी दल का गठन किया था, जिसमें कुछ बैंकों के खज़ाना विभाग के अधिकारी और कंपनी वित्त के विशेषज्ञ शामिल थे। इस दल का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा सामान्यतः सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों को और विशेष रूप से निजी तौर के निर्गमों में निवेश के लिए अपनायी जानी वाली पद्धतियों का अध्ययन करना तथा इन निवेशों को विनियमित करने के लिए उपायों का सुझाव देना था। उक्त दल ने एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें निजी निर्गमों के लिए प्रकट करने के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएं तथा दस्तावेजों और प्रभार निर्मित करने के बारे में कतिपय शर्तें निहित हैं। यह बैंकों के लिए सर्वोत्तम प्रथा के मॉडल के रूप में काम आ सकता है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे तकनीकी दल की सिफ़ारिशों के अनुसार प्रकट करने से संबंधित अपेक्षाओं का उपयुक्त फॉर्मेट (कृपया अगले पृष्ठ पर देखें) अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से तत्काल लागू करें।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि गैर-श्रेणीबद्ध निर्गमों में निजी तौर पर निवेश, उधारकर्ता ग्राहक और उधार न लेने वाले ग्राहक दोनों के, निवेश से प्रणालीगत चिंता की कोई बात नहीं है, यह आवश्यक है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी निवेश नीतियां निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल के अनुमोदन से बनायी गयी हैं।

(क) बैंकों के निदेशक मंडल बांडों और डिबेंचरों में निवेशों के संबंध में नीति और विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करें, जिसमें गैर-श्रेणीबद्ध निर्गमों और निजी तौर पर निवेशों के लिए उच्चतम सीमा, सरकारी क्षेत्र के बांडों, कंपनी बांडों, गारंटीकृत बांडों, निर्गमकर्ता की उच्चतम सीमा आदि के लिए उप सीमाएं तय हों।

(ख) निवेश के प्रस्तावों का ऋण जोखिम विश्लेषण उसी तरह किया जाये, जिस तरह किसी ऋण प्रस्ताव का किया जाता है। बैंकों को अपना आंतरिक ऋण विश्लेषण और श्रेणी-निर्धारण श्रेणीबद्ध निर्गमों के संबंध में भी करना चाहिए और केवल बाहरी एजेंसियों के श्रेणी-निर्धारण पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। उधार न लेने वाले ग्राहकों द्वारा जारी किये गये लिखतों के संबंध में मूल्यांकन और भी अधिक कड़ाई से किया जाना चाहिए।

(ग) गैर-श्रेणीबद्ध निर्गमों और जो कंपनियां उनकी उधारकर्ता नहीं हैं उन कंपनियों के निर्गमों के मामले में श्रेणी-निर्धारण की बैंकों की अपनी प्रणाली होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को ऊपर पैराग्राफ 3 में बताये गये अनुसार उपयुक्त ढंग से निर्गमकर्ताओं से पर्याप्त जानकारी लेनी चाहिए।

(घ) यह विवेकपूर्ण होगा कि बैंक प्रवेश स्तर पर ही न्यूनतम श्रेणी/गुणवत्ता मानक और उद्योगवार, अवधि के अनुसार, निर्गमकर्ता-वार आदि सीमाएं निर्धारित करें, ताकि संकेंद्रण और चलनिधि की कमी के जोखिम का प्रतिकूल प्रभाव कम से कम हो। गैर-श्रेणीबद्ध निजी तौर पर बांडों और डिबेंचरों में किये गये निवेशों को भली-भांति विशाखीकृत किया जाना चाहिए।

(ङ) इन निवेशों के संबंध में जोखिम की जानकारी प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने और समय पर निवारक कार्रवाई करने के लिए बैंकों को उचित जोखिम प्रबंध प्रणाली लागू करनी चाहिए। निर्गमकर्ताओं की श्रेणी बदलने और उसके परिणामस्वरूप इस संविभाग की गुणवत्ता घटने पर आवधिक रूप से नज़र रखी जानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि इन लिखतों को बैंक की निवेश समिति/निदेशक मंडल के समक्ष जानकारी के लिए रखा जाए।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
29 तथा 30 अगस्त 2001 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर निवेशों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशें

सभी निर्गमकर्ताओं को एक प्रस्ताव दस्तावेज जारी करना चाहिए, जो निदेशक मंडल के संकल्प से प्राधिकृत हो और यह संकल्प निर्गम की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गम को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक मंडल के संकल्प का तथा प्रस्ताव दस्तावेज के निर्गम के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के पदनामों का विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज मुद्रित या टाइप किया हुआ होना चाहिए और उस पर केवल निजी परिचालन के लिए लिखा होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज में कम से कम निम्नलिखित जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

सामान्य

- कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता
- निदेशकों के पूरे नाम (आद्यक्षरों से बनने वाले पूर्ण नाम), पते और उन कंपनियों के नाम, जिनमें वे निदेशक के रूप में हैं।
- निर्गम की सूचीबद्धता (यदि सूचीबद्ध हो तो शेयर बाज़ार का नाम)
- निर्गम के खुलने की तारीख
- निर्गम के बंद होने की तारीख
- बंद होने की तारीख से पहले बंद होने की तारीख
- लेखा-परीक्षकों और अग्रणी प्रबंधकों/व्यवस्था करने वालों के नाम और पते
- न्यासी (ट्रस्टी) का नाम और पता - सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना है (डिबेंचरों के मामले में)
- किसी श्रेणी-निर्धारक एजेंसी द्वारा श्रेणी-निर्धारण और/अथवा अद्यतन श्रेणी-निर्धारण के औचित्य की प्रति

ब्यौरे

- उद्देश्य
- नयी परियोजना के संबंध में परियोजना लागत और वित्त व्यवस्था के साधन (जिसमें प्रवर्तकों का योगदान शामिल हो)

मॉडल प्रस्ताव (ऑफर) दस्तावेज़ में निम्नलिखित जानकारी भी होनी चाहिएः

(i) आवेदन-धन पर आबंटन की तारीख तक देय ब्याज की दर

(ii) जमानतः यदि वह जमानती निर्गम है तो निर्गम को जमानत प्राप्त होनी चाहिए, प्रस्ताव दस्तावेज़ में जमानत, जमानत का प्रकार, प्रभार का प्रकार, न्यासियों, निजी प्रभार-धारकों, यदि कोई हों, का वर्णन होना चाहिए तथा जमानत निर्मित करने की संभावित तारीख, न्यूनतम प्रतिभूति सुरक्षा, पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, का उल्लेख होना चाहिए।

(iii) यदि जमानत के लिए गारंटी द्वारा संपार्श्विक जमानत है, तो गारंटी की प्रति या गारंटी की प्रधान शर्तें प्रस्ताव दस्तावेज़ में शामिल की जायें।

(iv) आंतरिक लेखे, यदि कोई हों।

(v) पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे का सारांश तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रतिबंध, यदि कोई हों, सहित।

(vi) पिछले दो प्रकाशित तुलन-पत्र संलग्न किये जायें।

(vii) कर छूट, पूंजी पर्याप्तता आदि से संबंधित कोई शर्तें हों तो उन्हें दस्तावेज़ में पूरी तरह लाया जाये।

(viii) बड़े स्तर पर विस्तार करने वाली या नयी परियोजनाएं हाथ में लेने वाली कंपनियों के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे :

(क) परियोजना की लागत, निधियों के स्रोतों और उपयोग सहित

(ख) नुमानित नकदी प्रवाह सहित प्रारंभ होने की तारीख

(ग) वित्तीय समाप्ति की तारीख (अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये वायदों के ब्यौरे)

(घ) परियोजना की रूपरेखा (टेक्नोलोजी, बाज़ार आदि)

(ङ) जोखिम वाले तत्व

(ix) यदि लिखत 5 वर्ष या अधिक की अवधि का है, तो अनुमानित नकदी प्रवाह

बैंक निजी तौर पर किये गये निर्गमों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर जोर देने के लिए सहमत हो सकते हैं :

निजी क्षेत्र की खास कंपनियों के सभी निर्गमकर्ताओं को सभी जमानती ऋण निर्गमों के मामले में, न्यास विलेख और प्रभार दस्तावेज़ निष्पादित होने तक, एक अभिदान करार निष्पादित करने का इच्छुक होना चाहिए। बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों सहित एक मानकीकृत अभिदान करार का प्रयोग करना चाहिए।

(क) आबंटन के 30 दिन के भीतर आबंटन पत्र बनाया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम में निर्धारित सीमा के अंतर्गत न्यास विलेख और प्रभार दस्तावेज़ निष्पादन पूरा किया जाना चाहिए तथा डिबेंचर प्रमाणपत्र प्रेषित किये जाने चाहिए, परन्तु यह कार्य हर हालत में अभिदान करार की तारीख से 6 महीने में होना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त का अनुपालन करने में विलंब के मामले में कंपनी बैंक विकल्प के अनुसार सहमत ब्याज दर से अभिदान की राशि की चुकौती करेगी, या जब तक उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं होतीं तब तक कूपन दर से 2 प्रतिशत अधिक का दंडात्मक ब्याज अदा करेगी।

(ग) जमानत निर्मित किये जाने तक, 6 महीने की अवधि (या बढ़ायी गयी अवधि) के दौरान कंपनी के प्रधान निदेशकों को उनके ऋण निर्गम में अभिदान ककरने के कारण बैंक को होने वाली किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होना चाहिए। यह शर्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होगी।

(घ) यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित अवधि में जमानत निर्मित करने के लिए पूर्व प्रभार-धारकों की सहमति प्राप्त कर ले। अलग-अलग बैंकों को उपर्युक्त तरीके से प्रस्ताव की शर्तों, जैसे न्यासी की नियुक्ति, जमानत निर्मित करने आदि के अनुपालन के लिए अभिदान करार निष्पादित करने या उपयुक्त पत्र के लिए जोर देना चाहिए।

(ङ) श्रेणी निर्धारणः दल यह सिफारिश करता है कि सार्वजनिक प्रस्तावों में सभी ऋण लिखतों की श्रेणी के संबंध में सेबी के वर्तमान विनियमों को निजी निर्गमों के लिए भी लागू किया जायेगा। यह शर्त उन अधिमान शेयरों पर भी लागू होगी जो 18 महीने के बाद प्रतिदेय हैं।

(च) सूचीबद्धता : इस समय, निजी तौर के निर्गमों में बैंकों द्वारा अपेक्षित सूचीबद्धता के संबंध में काफी लचीलापन है। तथापि, दल यह सिफारिश करता है कि कंपनियों को सूचीबद्ध किये जाने पर बल दिया जाना चाहिए (बैंकों की निवेश नीति में इस नियम का कोई अपवाद हो तो वह बताया जाना चाहिए) इससे यथासमय गौण बाज़ार विकसित करने में सहायता मिलेगी। सूचीबद्धता का लाभ यह होगा कि सूचीबद्ध कंपनियों को आवधिक रूप से स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना प्रकट करनी होगी, जिससे निवेशक सूचना के रूप में गौण बाज़ार विकसित करने में सहायता मिलेगी। वास्तव में, सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा-परीक्षित न किये गये वित्तीय परिणाम तिमाही आधार पर प्रकाशित किये जाने चाहिए और उनके द्वारा ऐसी सभी घटनाओं की तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी जानी चाहिए जिनका असर कंपनी के कार्यनिष्पादन/कार्यकलापों पर पड़ता हो तथा जो सूचना भावों को प्रभावित करने की दृष्टि से संवेदनशील हो।

(छ) जमानत/दस्तावेज : यह सुनिश्चित करने के लिए कि दस्तावेज समय पर पूरे किये जायें तथा जमानत निर्मित की जाये, दल ने जो सिफारिशें की हैं वे प्रस्ताव के मॉडल प्रस्ताव में दी गयी हैं। यह नोट किया जाये कि न्यास विलेख और प्रभार दस्तावेजों के निष्पादन में विलंब के मामले में कंपनी शर्तें पूरी न होने तक बैंक के विकल्प पर सहमत ब्याज दर से अभिदान की चुकौती करेगी या कूपन दर से 2 प्रतिशत अधिक का दंडात्मक ब्याज अदा करेगी। इसके अलावा, कंपनी के प्रधान निदेशकों को जमानत निर्मित होने तक 6 महीने की अवधि (या बढ़ायी गयी अवधि) के दौरान ऋण निर्गम में अभिदान के कारण बैंक को होनेवाली हानि के लिए बैंक को प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत होना होगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा ॲल्को कॉर्पोरेशन, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध ।**